न्यायालय–सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित, बांदा।

अन्तिम रिपोर्ट संख्या–56/2024

रजि0 सं0–707/2022

मु०अ०सं०–61/2022

अहमद उल्ला बनाम अज्ञात

धारा–363 भा0दं0सं0

थाना नरैनी जिला बांदा।

दिनांक : 13-08-2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण मु०अ०सं०–61/2022, अन्तर्गत धारा–363 भा0दं0सं0, थाना–नरैनी, जिला–बांदा में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या संख्या–07/2022, दिनांकित 22.05.2022 पर वादी मुकदमा को आपत्ति हेतु नोटिस प्रेषित किया गया।

वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, वादी ने अपने पुत्र मोहम्मद मोनिश के घर से कहीं चले जाने के कारण मुकदमा लिखवाया था, अब उसका पुत्र मिल गया है। अब उसे कोई कार्यवाही नही करनी है। अतः एफ.आर पत्रावली स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादी का प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है।

पत्रावली पर उपलब्ध विवेचना से सम्बन्धित केस डायरी व अन्तिम आख्या का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि, वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि, वादी का पुत्र मिल गया है अब उसे कोई कार्यवाही नही करनी है। विवेचक द्वारा भी विवेचना के अन्त में लिखा है कि अपराध का होना नही पाया गया है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के दृष्टिगत जो अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है, वह उचित प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **चितरंजन मिर्धा बनाम दुलाल घ ोष आदि, एस०सी०सी०(2009)** में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही अग्रसारित करने का पर्याप्त साक्ष्य पुलिस रिपोर्ट में नहीं है वहाँ अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कार्यवाही को न्यायालय समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **वरुण शर्मा आदि प्रति उ०प्र० राज्य आदि जे०आई०सी० 2011(1) पेज 107** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केस डायरी में अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर ही अन्तिम रिपोर्ट को अस्वीकृत किया जा सकता है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या व अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विवेचना में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या–07/2022, दिनांकित 22.05.2022 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(वरूणा बसिस्ट)

सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित,

बांदा।